District Health Society, Nalanda
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा
सदर अस्पताल परिसर, बिहारशरीफ–803101
Sadar Hospital Campus, Biharsharif 803101
पत्रांक : 1086 (C.S.)

9/4/2014

प्रेषक,

**जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,**
**जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।**

सेवा में,

**पुलिस उपाधीक्षक, (मु0)–सह–**
**नोडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा।**

बिहारशरीफ, दिनांक 07 / 04 / 2014

विषय : **सिगरेट एवं तंवाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के उल्लंघन के लिए कानुन का अनुपालन एवं दंड व्यवस्था प्रारंभ करने एवं चालान की गई राशि जमा करने के संबंध में।**

महाशय,

जैसा की आप अवगत हैं कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। और व्यक्ति गंभीर विमारियों के चपेट में आ जाता है।

इसलिए COTPA के धारा 04 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, समाहरणालय, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, मिष्टान भंडार, ढ़ावा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी, गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, रेस्टुरेंट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिवंधित है।

इन संस्थानों पर धुम्रपान करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो तबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 04 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है जिसके लिए उल्लंघनकर्त्ताओं को रूपये 200/– तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस प्रयोजनार्थ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक 04.06.2012 को तंवाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन, दंड व्यवस्था प्रारंभ एवं संस्थानीकरण करने हेतु मुद्रित चलान पर्ची की संख्या 99001 से लेकर 100000 एवं 121001 से 161000 तक उपलब्ध कराया गया है।

विदित हो कि राज्य में कोटपा 2003 को सफलतापूर्वक लागू करने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भुमिका है क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दंड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से ही कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी से दंड व्यवस्था अधिक सशक्त होगी।

इसलिए तंवाकू नियंत्रण कानुन को शक्ति से लागू कर नालन्दा जिला को तंवाकू मुक्त जिला घोषित करने में आपका एवं आपके विभाग का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही इस वैधानिक कानून को लागू करने के लिए आपके प्रतिवद्ध प्रयास की भी आवश्यकता है। मुझे पुरा विश्वास है की आपके नेतृत्व में सभी थानाध्यक्ष, सभी पुलिस निरीक्षक नियमानुसार दंड व्यवस्था अविलंब प्रारंभ करेगें।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक आपके विभाग से दंड की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

'दिनांक 17.04.2014 को मतदान अवश्य करें'
फोन नं0 :– 06112–230414, 230808, फैक्स नं0 :– 06112–230820
वेवसाईट– http://dhsnalanda.bih.nic.in ई–मेल :– dhsnalanda@rediffmail.com, dhsnalanda@gmail.com
"आपका वोट आपकी ताकत"

District Health Society, Nalanda
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा
सदर अस्पताल परिसर, बिहारशरीफ–803101
Sadar Hospital Campus, Biharsharif - 803101
पत्रांक :.......................................

COTPA (सिगरेट एवं अन्य तंवाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत की गई कार्रवाई संबंधित सूचना।

| क्रम सं0 | जुर्माना वसूली किये गये व्यक्ति का नाम एवं पता | वसूली गयी राशि (रू0 में) | वसूली स्थान | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

अतः निदेश दिया जाता है कि दंड की प्रक्रिया चालू करके चलान की गई राशि District Health Society, TOBACCO CONTROL के बचत खाता संख्या 71470100163028, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ में जमा कर प्रत्येक महीने अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदित किया जाय ताकि वितीय वर्ष 2013–14 में वसूली की राशि के साथ–साथ संबंधित प्रतिवेदन SHSB को उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/–
**जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,**
**जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।**

ज्ञापांक......1086(c.s.) बिहारशरीफ, दिनांक....07/...04../2014

**प्रतिलिपि :** कार्यपालक निदेशक सीड्स (Seeds delhi@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।
**प्रतिलिपि :** जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचित करते हुए निदेशित है कि NIC के बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
**प्रतिलिपि :** श्री राम निरंजन सिंह, जिला पंचायत, पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी–सह–समन्वयक, जिला तंवाकु नियंत्रण कोषांग समाहरणालय, बिहारशरीफ नालंन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।
**प्रतिलिपि :** जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
**प्रतिलिपि :** प्रभारी पदाधिकारी, राज्य तंवाकू नियंत्रण कोषांग राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (ntcpbihar@gmail.com) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
**प्रतिलिपि :** पुलिस अधीक्षक नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

3/4/14

**जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,**
**जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।**

*'दिनांक 17.04.2014 को मतदान अवश्य करें'*

फोन नं0 :– 06112–230414, 230808, फैक्स नं0 :– 06112–230820
**वेवसाइट– http://dhsnalanda.bih.nic.in ई–मेल :– dhsnalanda@rediffmail.com, dhsnalanda@gmail.com**

"आपका वोट आपकी ताकत"